02/12/25

पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी मु प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए.एस)
मुक्दमा नम्बर :– 41/2025
दायर दिनांक :– 02.07.2025
निर्णय दिनांक :–02/12/25

उनवान

1. शकुन्तला पत्नी बस्तीराम जाति अहीर निवासी दूघेडा तहसील बहरोड़। ... **प्रार्थी**

बनाम्

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़। ....**अप्रार्थी**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. काश्त अधि.</u>

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता वादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 896 रकबा 0.20 हैक्टेयर ग्राम दूघेडा तहसील बहरोड में प्रार्थीया का नाम 2/3 भाग की खातेदारी रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम शकुन्तला है। प्रार्थीया के आधार कार्ड पैन कार्ड जन आधार कार्ड राशन कार्ड पीपीओ. डिस्चार्ज बुक में प्रार्थीया का नाम शकुन्तला दर्ज है। जबकि प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 896 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम दूघेडा में प्रार्थीया का नाम शकुन्तला के स्थान पर छोटा देवी गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में छोटा देवी पत्नी बस्तीराम के स्थान पर शकुन्तला पत्नी बस्तीराम दर्ज किया जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को द्वारा नोटिस तलब किया गया। पेरोकार नायब तहसीलदार बहरोड ने जवाब पेश किया गया कि प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को स्वयं सिद्व करे।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा बहस प्रार्थी पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रशासक ग्राम पंचायत दहमी ने प्रमाण पत्र जारी किया है कि शकुन्तला पत्नी बस्तीराम यादव दूघेडा तहसील बहरोड शकुन्तला पत्नी बस्तीराम व छोटा देवी पत्नी बस्तीराम एक ही महीला का नाम है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में शकुन्तला पत्नी बस्तीराम जाति यादव ही नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

विवादित आराजी में प्रार्थी के सह खातेदार श्योराम पुत्र रामजीलाल व बस्तीराम पुत्र रामजीलाल ने अपना एक शपथ पत्र पेश किया है कि हाल खसरा नम्बर 896 रकबा 0.20 ळैक्टेयर वाके ग्राम दूघेडा तहसील बहरोड़ के 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार हुँ। छोठा देवी पत्नी बस्तीराम का नाम वास्तविक नाम शकुन्तला पत्नी बस्तीराम है। जिससे सही कर दिया जावे। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीया का नाम राजस्व अभिलेख में शकुन्तला पत्नी बस्तीराम किया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर 896 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम दूघेडा तहसीलद बहरोड़ में प्रार्थीया का नाम छोटादेवी पत्नी बस्तीराम को कलमजन कर शकुन्तला पत्नी बस्तीराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर राजस्व भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड को वास्ते संशोधन जारी किया जावे।

आज दिनाक 2.1.12.1.25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)